



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

Phone No. 0771- 2437309& Fax No. : 0771-2429385

पत्र क्रमांक/२०८९ /विद्यो०/२०२२

रायपुर, दिनांक ५/११/२०२२

= आदेश =

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की समस्त मान्यता प्राप्त शालाओं में शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ में अध्ययनरत छात्रों को प्रतिमाह प्रत्येक विषय के १-१ असाइनमेंट दिये जा रहे हैं। पहला असाइनमेंट अगस्त २०२१, पांचवा असाइनमेंट दिसम्बर २०२१ में जारी किया गया है। छठवां असाइनमेंट जनवरी २०२२ में जारी किया जायेगा।

कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के नियमित छात्रों हेतु सभी विषयों के न्यूनतम दो असाइनमेंट अनिवार्य किया जाता है। जिस छात्र के द्वारा प्रत्येक विषय के २ असाइनमेंट जमा नहीं किये जायेंगे उसे आगामी मुख्य परीक्षा २०२२ में सम्मिलित होने से वंचित किया जायेगा अर्थात् मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अपात्र माना जायेगा।

सभी छात्रों को पूर्व के असाइनमेंट जमा करने हेतु एक सप्ताह का समय दिया जाता है।

Am
५/११/२२
(प्रोफेसर व्ही० के० गोयल)
सचिव

छ० ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

रायपुर, दिनांक ५/११/२०२२

पृष्ठांकन क्रमांक/ २०९० /विद्यो०/२०२२

प्रतिलिपि :-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ०ग० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर, की ओर माननीय मंत्रीजी, को अवगत कराने का कष्ट करें।
- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन नया रायपुर, अटल नगर,
- अध्यक्ष के निज सचिव/सचिव के निज सहायक छ० ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर,
- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर,
- संचालक एस०सी०ईआर०टी० शंकर नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ,
- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़,
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
- समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर,
- समस्त संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल, बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर एवं राजनांदगांव,
- प्राचार्य समस्त समन्वय संस्थाएँ, उमावि छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
- प्रोग्रामर, छ०ग० मा० शि० मण्डल, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- आदेश फोल्डर।

Am
५/११/२२
सचिव
छ० ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर